**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1498**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**नागरिकता अधिनियम के संशोधन के पश्चात दोहरी नागरिकता**

**1498. श्री पी॰ विल्सनः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या नागरिकता अधिनियम के संशोधन दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है; और**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्‍यानंद राय)**

(क) और (ख): जी नहीं। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 9 के प्रावधानों के अनुसार दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं दी जाती है।

\*\*\*\*\*